प्रमाण पत्र शाखा

कार्य रूपरेखा (वर्क प्रोफाइल)

1. प्रकार्य (फंक्शन)
   1 आवेदको का उनके मूल प्रमाण–पत्र/पूर्व में जारी पुनः जारी (Re-issue) के गुम होने/नष्ट होने/चोरी होने की अवस्था में पुनः जारी (Re-issue) प्रमाण–पत्र जारी करना।
   2. आवेदकों को किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थानान्तरण हेतु प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण–पत्र जारी करना।
   3. प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, एनरोलमैन्ट, आधार में संशोधन एवं नाम/उपनाम में परिवर्तन का कार्य।
   4. कानूनन गोदनामें (गोद लेने के कारण) के अन्तर्गत पिता और माता के नाम में परिवर्तन का कार्य।

2. सम्पर्क :

संयुक्त सचिव/उप सचिव	01664-244171 to 244176 Ext.-144
सहायक सचिव	01664-254303
	01664-244171 to 244174 Ext.-116
अधीक्षक	01664-244171 to 244176 Ext. 109/ 128/ 129

प्रक्रिया :–

सभी प्रकार के पुनः जारी (Re-issue) /प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण–पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन–पत्र व शुल्क अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन ही जमा करवाना होगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु परिवार पहचान–पत्र की अनिवार्यता है। ऑफ लाईन भेजा गया आवेदन–पत्र व शुल्क मान्य नहीं होगा। सम्बन्धित आवेदन–पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क) पुनः जारी (Re-issue) प्रमाण पत्र

i) प्रथम अनुलिपि प्रति

निर्धारित आवेदन पत्र पर आवश्यक शुल्क सहित आवेदन करें।
निर्धारित प्रपत्र पर पासपोर्ट आकार का छायांकन (फोटोग्राफ) चिपकाएं।

नियमित विद्यार्थी की स्थिति में आवेदन पत्र एवं फोटोग्राफ उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाएं जहां से आवेदक ने परीक्षा दी है और स्वयंपाठी आवेदक/विद्यार्थी की स्थिति में जो कभी भी किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी विद्यालय में पढा हो ऐसी स्थिति में उसी विद्यालय के मुखिया द्वारा सत्यापित करवाएं जहां से आवेदक ने वह परीक्षा पास की है जिस परीक्षा का पुनः जारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है साथ में आवेदन पत्र के कालम पांच (05) अनुसार अपना अनुक्रमांक, वर्ष व सत्र भरें।
ऐसे स्वयंपाठी (प्राईवेट) आवेदक जिन्होंने कभी भी किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की वो अपना आवेदन पत्र और छायांकन शिक्षा विभाग हरियाणा के किसी राजपत्रित अधिकारी या बोर्ड के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा सत्यापित करवा सकते है।

प्रायः अनुलिपि प्रमाण पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है। फिर भी अत्यावश्यक स्थिति में अनुलिपि प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दो व्यक्तिगत पहचान पत्र (आई.डी.) जमा करवाने पर दस्तीरूप से (बाई हैंड) दिया जाता है या आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने पर दो दिन के अन्दर–अन्दर प्रेषित कर दिया जाएगा। आवेदक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति न तो आवेदन कर सकता है और न ही अनुलिपि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

ii) द्वितीय अनुलिपि प्रति

अनुलिपि प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए, प्रथम प्रति के लिए की गई सभी औपचारिकताओं के अलावा अतिरिक्त शुल्क व आवेदन फार्म के साथ स्वयं घोषणा पत्र भी भरना अनिवार्य है।

iii) तृतीय अनुलिपि प्रति

तीसरी प्रति प्राप्त करने के लिए प्रथम प्रति के लिए की गई सभी औपचारिकताओं के अलावा अतिरिक्त शुल्क एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।

iv) चौथी अनुलिपि प्रति

अनुलिपि प्रमाण–पत्र की तीसरी प्रति जारी करने के बाद अन्य अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष महोदय निर्णय करें कि केस वास्तविक और वाजिब है तो उस अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रमाण–पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं आवश्यक है उन सभी को पूर्ण करना होगा और अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट आदेशों के बाद अनुलिपि प्रमाण–पत्र की चौथी प्रति जारी की जा सकेगी।

v) शुल्क सम्बन्धी सूचना पेज न0–05 पर अंकित है।

(ख) <u>प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र</u>

प्रार्थी प्रवर्जन (माईग्रेशन) लेने हेतु बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र व परीक्षा परिणाम एवं 300/–रू सहित अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन करे। ऑनलाईन आवेदन हेतु परिवार पहचान–पत्र की अनिवार्यता है। ऑफ लाईन भेजा गया आवेदन–पत्र व शुल्क मान्य नहीं होगा। सम्बन्धित आवेदन–पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ग) <u>बोर्ड के प्रमाण पत्रों में गलतियों में संशोधन</u>

<u>नाम/पिता/माता के नाम में संशोधन सम्बन्धी नियम</u>

1. छात्र/पिता/माता के नाम में सुधार के लिए, छात्र को निर्धारित आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर संबंधित विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवा कर सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा।
2. जिन छात्रों ने इस बोर्ड से स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें निर्धारित आवेदन–पत्र को अन्त में अध्ययन किए गए विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवा कर सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा।
3. ओपन स्कूलिंग के उम्मीदवार के रूप में बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है और आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान/सरकारी विद्यालय के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
4. सभी उद्देश्यों के लिए निर्धारित संरचना के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क किसी भी मामले में अप्रतिदेय है।
5. किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र या जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC) बोर्ड को स्वीकार्य होगा।
6. विदेशों में स्थित बोर्डों/विश्व विद्यालयों और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जाएगा।
7. मूल प्रमाण पत्र, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, यदि प्रार्थी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो आवेदक को अनुलिपि प्रमाण–पत्र व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. जहां विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम उपलब्ध न होने की दशा में (जैसा कि पुराने विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम नही है।) वहां माता का जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे जबकि सशस्त्र बलों में नियोजित व्यक्तियों से संबंधित छात्रों के लिए सम्बन्धित कार्यालय/मुख्य कार्यालय के प्रमाणित पहचान पत्र के किसी भी अभिलेख के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा। प्रमाण के रूप में संबंधित कार्यालय/प्रधान कार्यालय स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो। इसके साथ ही परीक्षार्थी/अभिभावक को इस आशय का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि आवेदक आवेदन जमा करने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसे रद्द/दायर(File) किया जाएगा, और यदि वह चाहता/चाहती है कि उक्त अवधि के बाद उसके आवेदन पर फिर से विचार किया जाए, तो उसे निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
10. स्कूल रिकार्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों(जन्मतिथि प्रमाण–पत्र आदि) के आधार पर स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत अग्रेषित उम्मीदवार के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्ततिथि में सुधार के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (बीएसईएच) प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख के बाद केवल छह साल के भीतर। उम्मीदवार

को इस आशय का प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामले में जहां सुधार सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है, उम्मीदवार को सार्वजनिक सूचना और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति जमा करनी होगी। यदि छह वष के बाद आवेदन प्रस्तुत करता है तो किसी भी प्रकार के सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां सहायक स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, आवेदन नाम/जन्मतिथि पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सुधार को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। नोट– प्रमाण–पत्र पर निम्नलिखित कैप्शन का उल्लेख किया जाएगा– उम्मीदवार के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/दस्तावेजों से जन्मतिथि में अस्वीकरण सुधार की अनुमति से ..... तक ..... दिनांक ..... को पदधारी द्वारा वास्तविकता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है) मूल बीएसईएच प्रमाण–पत्र में सुधार दर्ज करने के अनुरोध का समर्थन। न्यायालय के आदेश संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार उम्मीदवार के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि में सुधार की अनुमति है। यदि किसी उम्मीदवार ने मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा बीएसईएच या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से उत्तीर्ण की है उस आधार पर शुद्वि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी/डी.एल.एड/एच.टी.ई.टी. पमाण–पत्र में सुधार किया जा सकता है। कोई समय सीमा लागू नहीं है।

11. जहां नाम के उच्चारण में सुधार के बाद परिवर्तन नहीं होता है और इसे दो अलग–अलग शब्दों में लिखा जाता है, वहां किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले में, अपेक्षित शुल्क के साथ संबंधित स्कूल से केवल सिफारिशें ही पर्याप्त होंगी।
12. जहां एडमिट कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड फोटो और हस्ताक्षर में बदलाव के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
13. नियमों में एकरूपता के लिए, प्रमाण पत्र में सुधार के लिए प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख के बाद तीन साल के भीतर संबंधित परीक्षा शाखा द्वारा विचार किया जाएगा। हालांकि, तीन साल के बाद प्रमाण पत्र शाखा द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित स्कूल रिकॉर्ड में छेडछाड़/ओवरराइटिंग न की गई हो।

नोटः क) नियम और विनियमों के अनुसार पुराने प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उचित सुधार के बाद बोर्ड नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ख) आवेदक को प्रत्येक परीक्षा के लिये संशोधन हेतु 300/–रूपये प्रति संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 800/– रूपये अनुलिपि प्रमाण–पत्र शुल्क भी देना होगा। अलग से अनुलिपि प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम शुद्धि शुल्क प्रति प्रमाण पत्र 1400/–रूपये होगा। यदि कोई प्रार्थी शुद्वि के बाद अनुलिपि प्रमाण–पत्र दस्ती लेना चाहता है तो प्रत्येक प्रमाण–पत्र 300/–रूपये का शुल्क देना होगा।

ग) यदि बोर्ड की प्रक्रिया में त्रुटि होती है, तो सम्बन्धित शाखा प्रमाण–पत्र जारी होने के तीन महीने के भीतर उसे मुफ्त में ठीक कर देगी। हालाँकि, उस शाखा द्वारा उचित शुल्क लेने के बाद तीन महीने के बाद, लेकिन तीन साल से अधिक समय तक सुधार नहीं किया जाएगा।

घ) शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

14. जारी प्रमाण–पत्र में उम्मीदवार के नाम में उपनाम जोड़ने के लिए, पुरुष आवेदनकर्ता को सुधार के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें उसका उपनाम दर्शाया गया हो।
    क) महिला आवेदक को अपने उपनाम का उल्लेख करते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा उसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने पिता का मूल निवास प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिसमें उपनाम का उल्लेख हो। विवाहित महिला को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने पति का निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिसमें पति का नाम उपनाम अंकित हो।
    ख) यदि बोर्ड द्वारा जारी कोई प्रमाण–पत्र उपनाम पहले से ही पिता के नाम के साथ मौजूद है तो वह उपनाम आवेदक के साथ जोड़ा जाएगा।
    ग) उपनाम में सुधार के लिए आवेदन अंतिम बार उपस्थित के प्रमुख से भेजा जाना चाहिए।
15. परीक्षार्थी के माता/पिता के नाम के आगे संबोधन–स्वरुप (जैसे श्री/श्रीमती इत्यादि) को नियमानुसार शुल्क के साथ बिना किसी समय–सीमा के हटाने का भी निर्णय लिया गया।
16. उभयलिंगी अधिकार संरक्षण अधिनियम व नियम/विनियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा District Magistrate द्वारा पहचान के लिए जारी प्रमाण–पत्र (Certificate of Identity) फार्म 3, 4 व पहचान पत्र (Identity Card) फार्म 5, 6 अनुसार उपलब्ध करवाए जाने पर, यह दस्तावेज प्रार्थी के नाम, फोटो, हस्ताक्षर व लिंग में परिवर्तन करने का अधिकार है।

उभयलिंगी अधिकार संरक्षण अधिनियम–2019 व 2020 इसके अतिरिक्त लिंग परिवर्तन के मामले में भी इसी अनुसार प्रार्थी के विवरणों में संशोधन/परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

छात्र की जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए –

प्रार्थी ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **https://bseh-org-in/home/>Download Forms&>Print Date of Birth correction Form** पर जाएं।

मिडिल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र– स्कूल रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों (जन्मतिथि प्रमाण–पत्र आदि) के आधार पर स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत अग्रेषित जन्मतिथि और आधार कार्ड में सुधार के लिए आवेदन पर विचार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख से केवल छह साल के भीतर किया जाएगा। अभ्यर्थी को इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामलों में जहां सुधार सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है, उम्मीदवार को सार्वजनिक सूचना की प्रति जमा करनी होगी। यदि छह वर्ष की उक्त अवधि के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो किसी भी प्रकार के सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामले में जहां सहायक स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जन्मतिथि और आधार कार्ड में सुधार के संबंध में आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सुधार को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (**HTET**) प्रमाण–पत्र और **D.Ed/D.El.Ed-** प्रमाण–पत्र– जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन केवल सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और आधार संख्या (**D.Ed/D.El.Ed**) में सुधार केवल आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा। केवल विवरण में संशोधन की अनुमति होगी, विवरण में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षा के बाद आधार कार्ड में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। अन्य नियम शैक्षणिक व्यवस्था के अनुसार होंगे।

सुधार फार्म भरने से पहले परीक्षार्थी को फार्म में दूसरी तरफ दिए गए अन्य/विस्तृत नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षार्थी को आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा उसकी प्रमाणित फोटोप्रति जमा करवानी होगी।

गोदनामा के आधार पर पिता व माता के नाम में परिवर्तन

गोदनामा के आधार पर पिता व माता के नाम में परिवर्तन हेतु निम्नलिखित प्रलेखों की आवश्यकता हैः–

- मूल गोदनामा व सत्यापित छायाप्रति,
- दो शपथ पत्र गोद लेने वाले माता–पिता का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित,
- दो शपथ पत्र गोद देने वाले माता–पिता का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित।
- दो शपथ पत्र **Respected person/** गवाह के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित।
- परीक्षार्थी को आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा उसकी प्रमाणित फोटोप्रति जमा करवानी होगी।
-

प्रमाण–पत्र में सुधार के लिए प्रमाण–पत्र शुल्क रु. 800/–रू0 व़ 300/–रू0 प्रति सुधार कुल 1100/–रूपये या अधिकतम शुल्क 1400/–रू0 एक से अधिक सुधार के लिए प्रति प्रमाण–पत्र लिया जाएगा। दस्ती प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु 300/– रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

शुल्क विवरण :–

प्रथम पुनः जारी प्रमाण पत्र	यदि बीस दिन में आवश्यकता है	रू.800/–
	यदि तत्काल आवश्यकता है	रू.1000/–
द्वितीय पुनः जारी प्रमाण पत्र	यदि बीस दिन में आवश्यकता है	रू.1000/–
	यदि तत्काल आवश्यकता है	रू.1300/–
तृतीय पुनः जारी	यदि बीस दिन में आवश्यकता है	रू.1200/–

प्रमाण पत्र	यदि तत्काल आवश्यकता है	रू.1500/–
माईग्रेशन प्रमाण पत्र		रू.300/–
परीक्षार्थी का नाम/पिता/माता का नाम/एनरोलमेंट/आधार/जन्मतिथि में संशोधन एवं नाम/उपनाम में परिवर्तन		रू.300/– प्रति त्रुटि सुधार + रू.800/–प्रति प्रमाण पत्र = रू.1100/–
एक से अधिक त्रुटि होने की अवस्था में अधिकतम शुल्क		1400/– प्रति प्रमाण–पत्र
		दस्ती प्रमाण–पत्र प्राप्ति हेतु रू. 300/– अतिरिक्त शुल्क प्रति प्रमाण–पत्र देय होगा।
अनुलिपि प्रमाण–पत्र का सत्यापन		रू. 500/– प्रति प्रमाण–पत्र